

FORM NO. III**फर्द अहकाम
(नियम 26)**

अज अदालत—जिला कलक्टर

मुकाम : दौसा

सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी) तहसील महवा बनाम नवल पुत्र मदनमोहन जाति
ब्राहमण निवासी साहिडा तहसील महवा

किस्म मुकदमा— रेफरेंस

नम्बर ...81... सन्— 2007

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2018	<p>माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 21.12.2017 व 22.12.2017 द्वारा अब्दुल रहमान से संबंधित विचाराधीन रेफरेंस प्रकरणों का पुनः निरीक्षण (Review) करने की पालना में पत्रावली आज पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेफरेंस से संबंधित वॉछित अभिलेख इस पत्रावली में संलग्न नहीं है। इसके बिना निर्णय पारित करना संभव नहीं है। अतः संबंधित तहसीलदार को प्रकरण की कमी-पूर्ति हेतु मूल पत्रावली इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाता है कि रेफरेंस से संबंधित निम्नांकित अभिलेख:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. रेफरेंस भूमि का पूर्ण विवरण2. जमा बंदी 15 अगस्त, 1947 संवत-2004 (2003-2004)3. वर्तमान जमाबंदी व नामान्तरकरण आदेश4. मिलान क्षेत्रफल(सेटलमेंट अनुसार) मय जमाबंदी/खतौनी एकीकरण विभाग5. नक्शा ट्रेस (सेटलमेंट अनुसार)6. किस्म परिवर्तन आदेश7. आवंटन/नियमन आदेश8. आवंटित/नियमित की गई भूमि में से शेष रही भूमि का विवरण आदि की पूर्ति की जाकर रेफरेंस नये सिरे से अर्थात् अप्रार्थीगण की मृत्यु या अन्य कारण से प्रकरण में परिवर्तन है, तो उनके वारिसों के आधार पर पूर्ण पता अंकित करते हुए और यदि प्रकरण समान प्रकृति के है, तो उनको इकजाई करते हुए एक माह के भीतर-भीतर राजकीय अधिवक्ता के माध्यम दो-दो प्रतियों में आवश्यक रूप से पेश करें। <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर
दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा